कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वाररोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :***ukmssbdun@gmail.com***; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone: **0135 2665366**

पत्रांक– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 23 / 2024–25 / 229 दिनांकः 16 मार्च, 2026

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) परीक्षा– 2025

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त पदों के सम्बन्ध में सूचना।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 23 / 2024–25 / 521, दिनांकः 14 जुलाई, 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में दिनांक 15 मार्च 2026 (प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक) को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया।

अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या 332 / 2025 (एस0बी0) मयंक कुमार जैमनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 13 अगस्त 2025 तथा रिट याचिका संख्या 349 / 2025 (एस0बी0) विजय मोहन्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य को दिनांक दिनांक 22 अगस्त 2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं–

In the above facts and circumstances, the writ petition is disposed of with the direction that two posts corresponding to the petitioner and one similarly situated person appointed in 2010, shall be kept vacant, pursuant to the impugned advertisement. However, liberty is given to the respondent to fill up the remaining advertised posts as per applicable Rules.

It is hoped and required that the High-Power Committee shall frame the Regularization Rules within a period of six months. The respondent/competent authority is further directed to consider the petitioner’s case for regularization after such rules are framed. Till the petitioner’s case is considered and a decision is taken thereon, the petitioner shall continue to work on his present post and shall be paid remuneration as per the existing terms.

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उपरोक्तानुसार पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के विज्ञापित रिक्त 16 पदों में से दो पदों को रिक्त रखा जाता है।

ह0 / –
(प्रदीप जोशी)
सचिव